भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **597**
गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

वीटीओएल विमान के लिए नीति और विनियामक ढांचा

597. श्री एम. के. राघवनः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में, विशेषकर शहरी हवाई यात्रा के लिए, वर्टिपोर्ट्स और वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग (वीटीओएल) विमान या एयर टैक्सियों के सुरक्षित प्रचालन हेतु नीति बनाने और विनियामक ढांचा स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार की पारंपरिक विमान प्रचालनों के साथ सुरक्षित और कुशल समन्वय सुनिश्चित करते हुए वीटीओएल विमानों को देश की मौजूदा वायु सीमा प्रबंधन प्रणाली में किस प्रकार एकीकृत करने की योजना है;

(ग) क्या सरकार ने वीटीओएल विमान अथवा एयर टैक्सी के प्रमाणन और प्रचालनात्मक मानकों के लिए किसी तंत्र का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन मानकों को सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमानन निकायों के साथ कार्य करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): देश भर में वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (वीटीओएल) विमानों के सुरक्षित प्रचालन के संबंध में, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
1. वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग सक्षम विमान (वीसीए) के टाइप सर्टिफिकेशन पर मार्गदर्शन सामग्री जारी की गई है।
2. वर्टिपोर्ट्स के डिजाइन, प्रचालन और प्राधिकार के लिए मार्गदर्शन सामग्री जारी की गई है।
3. आईसीएओ ने नए प्रवेशकों की तीव्र तकनीकी प्रगति और विमानन पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित प्रभाव के मद्देनजर उन्नत वायु गतिशीलता अध्ययन समूह की स्थापना की है। इसके साथ ही डीजीसीए ने भारत के लिए उपयुक्त उचित विनियमों/अपेक्षाओं का आकलन और विकास करने हेतु ई-वीटीओएल के प्रचालन से संबंधित अन्य पहलुओं का अध्ययन करने के लिए आंतरिक कार्य समूहों का भी गठन किया है।

(ख): नियामक ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें उड़न योग्यता, पायलट प्रमाणन और प्रचालन प्रक्रियाओं सहित वीटीओएल परिचालन के लिए नए नियम और मानक बनाना शामिल होगा। विनियामक ढांचे के आधार पर वीटीओएल प्रचालन के लिए आवश्यक वर्टिपोर्ट, हवाई मार्ग और अन्य आवश्यक अवसंरचना को उनके टेक-ऑफ और लैंडिंग साइटों के लिए स्थापित करना होगा। मौजूदा एयरस्पेस प्रबंधन प्रणाली के भीतर हवाई यातायात प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए प्रचालन योजना बनानी होगी।

(ग) : वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग सक्षम विमान (वीसीए) के टाइप सर्टिफिकेशन पर मार्गदर्शन सामग्री जारी की गई है।

(घ) : जी हां, यूरोपीय संघ सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के बीच 4 जुलाई, 2023 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो दोनों नागर विमानन प्राधिकरणों के बीच मानव रहित विमान और सृजनात्मक हवाई गतिशीलता के सहयोग पर केंद्रित है। इसके अलावा, डीजीसीए ने इस मामले में आईसीएओ, एफएए और एपीएसी (सीएए सिंगापुर) के साथ भी सहयोग स्थापित किया है।

******